प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

युगल पीठ

कोरम - माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

दांडिक अपीलार्थी क्रमांक 716 / 2005

भोज राम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

सही /-

(टी. पी. शर्मा)

न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

सही /-

(आर. एन. चंद्राकर)

न्यायमूर्ति

<u>निर्णय उद्घोषित किये जाने हेतु दिनांक 24 अगस्त 2011 को सूचीबद्ध करे।</u>

प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम - माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर

दांडिक अपीलार्थी क्रमांक 716 / 2005

अपीलार्थी:
(अपीलार्थी वर्तमान में जेल में निरुद्ध)

भोज राम, पिता – तेज राम सतनामी,
आयु लगभग 42 वर्ष,
निवासी – ग्राम जमपाली,
थाना एवं तहसील – सक्ती,
जिला – जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी :

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा: थाना सक्ती,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपीलार्थी)

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से – श्री गोविंद राम मिरी, अधिवक्ता,
सह श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता।
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से – श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता।

प्रकाशन के लिए अनुमोदित

निर्णय

(दिनांक 24 अगस्त, 2011)

माननीय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया :-

1. यह अपीलार्थी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 37/2005 में दिनांक 11-07-2005 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा तथा अंतर्गत सह-आरोपी पुकराम को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थी भोज राम को धरमदास पनिका का आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में आता है के अपराध में दोषी ठहराया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹1,000/- (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतने का आदेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्षी के, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराकर दण्डित किया गया है, जो इस प्रकार अवैधता कारित किया।

3. अभियोजन के कथनानुसार, घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व मृतक धरमदास पनिका ने अपीलार्थी भोज राम की पुत्री सीमा उर्फ सोनकुंवर से विवाह किया था। विवाह के पश्चात सीमा गर्भवती हो गई थी। अपीलार्थी भोज राम गर्भपात कराने के पक्ष में था, जबकि धरमदास इसके लिए सहमत नहीं था। अपनी पत्नी सीमा से झगड़ा कर रहा था और इसी झगड़े की वजह से सीमा ने लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -5) और दूसरे गांव वालों से मामले में सुलह करने की निवेदन की, जिस पर उन्होंने दिनांक 29-9-2004 को रात में गांव की बैठक बुलाई, जिसमें मृतक धर्मदास नहीं आया और उसके बाद, दूसरे दिन सुबह अर्थात् दिनांक 30-9-2004 को करीब 4.15 बजे अपीलार्थी करने वाले भोजराम ने अपने भाई पुकराम (दोषमुक्त किए गए को-आरोपी) के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और डंडे से धर्मदास को मार डाला। तत्पश्चात लगभग 4.30 बजे सुबह अपीलार्थी भोज राम ने लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी-5) का दरवाजा खटखटाया और

उसके सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है, अपीलार्थी क्रोधित था, तब अपीलार्थी और लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -5) घटना स्थल पर गए जहाँ धरमदास की मृत शरीर खून से सना हुआ पड़ा था, जिस पर दानसाय (अभियोजन साक्षी-4) को सूचित करने के बाद, लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -5) थाना सक्ती गया और प्रदर्श पी-8 के अनुसार मर्ग और प्रदर्श पी-7 के अनुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। अपीलार्थी ने दानसाय (अभियोजन साक्षी -4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की। जांच अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुआ और प्रदर्श पी-1 के अनुसार गवाहों को बुलाने के बाद मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन मृतक के सीलबंद कपड़े प्रदर्श पी -2 के माध्यम से तैयार किया, घटना स्थल नक्शा तैयार किया गया, प्रदर्श पी-9 के माध्यम से ज़ब्त किए गए। मौके से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी प्रदर्श पी -11 के माध्यम से जप्त किया गया। शव को प्रदर्श पी -13 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शक्ति में शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. के.बी. सिंह (अभियोजन साक्षी -8) ने प्रदर्श पी -15 के माध्यम से शव परीक्षण की और ये चोटें पाई: -

(1) गर्दन के दाहिनी ओर 2.5 सेमी x 1.5 सेमी x 2 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव।

(2) बाएं टेम्पोरो ओसीसीपिटल क्षेत्र पर 5 सेंमी x 2.5 सेमी x हड्डी की गहराई में कटा हुआ धाव।

(3) दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर 2 सेमी x 1 सेमी x हड्डी की गहराई में कटा हुआ घाव।

(4) नाक के ऊपर 2.5 सेमी x 0.3 सेमी का खरोंच।

(5) गर्दन के पीछे 3 सेमी x 1 सेमी के आकार का नीलगू।

(6) फेफड़े और मस्तिष्क दोनों कंजेस्टेड थे।

(7) आंतरिक अंग भी संकुचित थे।

मृत्यु का कारण कोमा था और मृत्यु मानव वध थी। जांच के दौरान, मृतक नरेश पांडे की एक मोटरसाइकिल प्रदर्श पी-11 के माध्यम से ज़ब्त की गई। प्रदर्श पी-22 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। प्रदर्श पी -24 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। जांच के दौरान, सह आरोपी पुकराम को हिरासत में लिया गया, उसने कुल्हाड़ी के बारे में बताया और उसे प्रदर्श पी--10 के माध्यम से बरामद कर लिया गया। अपीलार्थी से प्रदर्श पी-12 के माध्यम से एक बांस का डंडा ज़ब्त की गई। अपीलार्थी को प्रदर्श पी--18 के माध्यम से मेडिकल जांच के लिए भी भेजा गया। डॉ. के.बी. सिंह (अभियोजन साक्षी-8) ने अपीलार्थी की प्रदर्श पी--19 के माध्यम से जांच की और पाया कि उसे निम्न चोटें आई हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) बायीं तर्जनी उंगली पर 0.3 सेमी x 0.2 सेमी का खरोंच।

(2) दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर छोटे आकार का खरोंच।

(3) बायीं मध्यमा उंगली पर 0.3 सेमी x 0.1 सेमी का खरोंच।

अपीलार्थी के शरीर पर मामूली चोटें थीं। ज़ब्त की गई चीज़ों को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया और सह-आरोपी पुकराम से मिली कुल्हाड़ी और अपीलार्थी से ज़ब्त की गई डंडा पर खून होने की पुष्टि हुई।

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अभिलिखित किए गए। जांच पूरी होने के बाद, अभियोग पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, बिलासपुर की न्यायालय को उपार्पित किया, जहां से अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय ने विचारण के लिए प्रकरण अंतरण पर प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. आरोपियों का गुनाह साबित करने के लिए, अभियोजन ने करीब पंद्रह गवाहों का परीक्षण किया। आरोपियों का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण की गई, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दिख रहे हालात से इनकार किया, खुद को निर्दोष बताया और इस अपराध में झूठा फंसाए जाने की बात कही।

6. दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सह-आरोपी पुकराम को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थी को ऊपर बताए गए तरीके से दोषी ठहराया और दंडादेश दिया।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि अपीलार्थी करने वाले को सज़ा सिर्फ़ धनसाय (अभियोजन साक्षी-4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी-5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी-7) के सामने अपीलार्थी के अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य पर आधारित है, जो न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नही करता और यह भरोसेमंद नहीं है।

अपीलार्थी के लिए ऊपर बताए गए गवाहों के सामने ऐसा अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति करने का कोई मौका नहीं था। अपीलार्थी को लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी-5) या धनसाय (अभियोजन साक्षी-4) या राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी-7) पर कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मणदास (अभियोजन साक्षी-5) ने कल्पना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 और मर्ग प्रदर्श पी-8 दर्ज कराई है। अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर तरह का साक्ष्य है जिसके लिए अलग सोर्स से पुष्टि की ज़रूरत होती है और किसी भी पुष्टि के बिना आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता ने अर्जुन लाल मिश्रा बनाम द स्टेट मामले का हवाला दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि वापस लिए गए बिना पुष्टि किए गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता ने आगे सखाराम शंकर बंसोडे बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र[2] मामले का हवाला दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अगर जिस गवाह के सामने स्वीकारोक्ति दिया गया था, उसका साक्ष्य भरोसे लायक नहीं था, तो दूसरी जुड़ी हुई परिस्थितियों के बिना, सिर्फ वापस लिए गए अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है। अधिवक्ता ने बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य[3] के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि पुलिस के सामने दिया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, और यह साबित किए बिना कि उसने ऐसे व्यक्ति को ये बातें क्यों बताईं, बिना और पुष्टि के भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर तरह का साक्ष्य है। अधिवक्ता ने अकनमन बोरा बनाम असम राज्य के मामले पर भरोसा किया, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना है कि अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य है और अगर इसमें पीड़ित का नाम नहीं बताया जा रहा है, तो यह कमजोर है और इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कुहरामी मुक्कई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 5 के मामले पर भरोसा किया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक बहुत कमजोर तरह का साक्ष्य है, जब तक कि दूसरे हालात से इसकी मजबूत पुष्टि न हो जाए, इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, गवाह जो अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को गवाह का कटघरा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन का खंडन करते हुए साबित करता है, वह स्वीकारोक्ति भरोसेमंद नहीं है। अधिवक्ता ने शिवचरण बनाम स्टेट ऑफ़ मध्यप्रदेश के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति से किया गया हो जिस पर आरोपी भरोसा नहीं कर सका, दूसरे हालात न होने पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता ने मसू बनाम स्टेट ऑफ़ मध्यप्रदेश 7 के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर बरामद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हथियार अपराध से जुड़ा नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह, कोटवार की मौजूदगी में दिया गया कबूलनामा, जिसके साक्ष्य में पूरी तरह से अंतर है और जो अस्वाभाविक है, उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे जगता बनाम हरियाणा राज्य के मामले पर भरोसा किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में साक्ष्य अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य है। आरोपी द्वारा चोट के बारे में कोई सफाई न देना उसके खिलाफ शायद ही कोई मामला हो। विद्वान अधिवक्ता ने कंस बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले पर भी भरोसा किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अभियोजन को यह साबित करना होगा कि चीज़ पर खून था और यह तथ्य कि चीज़ पर पाया गया खून मृतक के खून के समूह का ही था। विद्वान अधिवक्ता ने केशव बनाम महाराष्ट्र राज्य 10 के मामले पर भरोसा किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि आरोपी द्वारा मृतक की पत्नी के सामने दिया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति अस्वाभाविक है, सामान्य है कि वह अपने रिश्तेदारों को यह बताती, लेकिन अपने विरोधियों को नहीं, और उसके तुरंत बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी तरफ, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और कहा कि अपीलार्थी ने धनसाय (अभियोजन साक्षी -4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) के सामने जो अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया है, वह विश्वास को प्रेरित करता है, यह भरोसेमंद है और विचारण न्यायालय ने बिना किसी दोष वाले ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सही किया है।

10. पक्षकारो की तरफ से दी गई दलीलों को समझने के लिए, हमने अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों की जांच की है।

11. इस मामले में, मृतक धर्मदास की मौत, जो उनके शरीर पर मिली जानलेवा चोटों की वजह से हुई थी, इस पर अपीलार्थी तरफ से ज़्यादा बहस नहीं की गई है, वैसे भी, डॉ. के.बी. सिंह (अभियोजन साक्षी -8) के साक्ष्य और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-15 से यह साबित होता है कि मृतक धर्मदास की मौत मानव वध प्रकृति की थी।

12. जहां तक इस अपराध में अपीलार्थी के शामिल होने की बात है, अपीलार्थी को दोषी ठहराना सारभूतरूप से धनसाय (अभियोजन साक्षी -4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -

5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) के साक्ष्यों पर आधारित है, जिनके सामने अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति किया है। लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी -5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी-7) भाई हैं और एक ही परिसर रहते हैं।

13. लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के साक्ष्य के मुताबिक, अपीलार्थी की बेटी सीमा की शादी मृतक धर्मदास से हुई थी। घटना से कुछ घंटे पहले ही सीमा ने इस गवाह को बताया कि मृतक धर्मदास उसे परेशान कर रहा है, जिस पर एक पंचायत बुलाई गई और यह गवाह धर्मदास को बुलाने गया, लेकिन धर्मदास नहीं आया, इसके बाद पंचायत के सदस्य पंचायत छोड़कर चले गए। सुबह करीब 4 बजे अपीलार्थी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाया। उस समय वह अपने घर पर था और पूछने पर अपीलार्थी ने उसके सामने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया कि उसने अपने दुश्मन को मार डाला है और देखने को कहा, जिस पर वह अपीलार्थी के साथ उस जगह तक गया जहाँ धर्मदास की खून से सनी लाश पड़ी थी। उसने अपने भाई राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) को अपीलार्थी पर नज़र रखने को कहा और वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना गया। उसने प्रदर्श पी -7 के ज़रिए प्रथम सूचना पत्र और प्रदर्श पी -8 के ज़रिए मर्ग दर्ज कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. धनसाय (अभियोजन साक्षी -4) ने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की बात को पुष्टि किया है। उसके साक्ष्य के मुताबिक, उस दिन सुबह करीब 6 बजे जब वह अपने घर से निकला तो उसने देखा कि धरमदास की लाश उसके घर के पास पड़ी है, फिर वह कोटवार लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के घर गया और उन्हें इस बारे में बताया, जिसके बारे में कोटवार लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) ने बताया कि उसे अपीलार्थी ने बताया था कि उसने धरमदास का मानव वध किया है। धनसाय (अभियोजन साक्षी -4) ने आगे बताया कि अपीलार्थी उसके घर भी आया और अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया कि उसने धरमदास को डंडे से मारा है और अपीलार्थी ने उसे यह भी बताया कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए थाना जा रहा है। लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के भाई राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) ने भी अपने भाई लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के साक्ष्य को पुष्टि किया है।

15. बचाव पक्ष ने इन गवाहों से लंबी प्रतिपरीक्षण की है। ऊपर बताए गए गवाहों के साक्ष्यों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत प्रदर्श डी -1,डी-2 और डी-4 के तौर पर दर्ज उनके

पिछले बयानों में विरोधाभास और लोप हैं। धनसाय (अभियोजन साक्षी -4) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 2 में माना है कि जब वह घटना की जानकारी देने के लिए कोटवार लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के पास गया, तो लक्ष्मणदास ने उससे कहा कि अपीलार्थी ने उसे पहले ही यह बात बता दी है। इन गवाहों ने इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी ने उनके सामने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति नहीं दिया है। लक्ष्मणदास महंत अभियोजन साक्षी -5) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 16 में खास तौर पर माना है कि पुलिस के गांव पहुंचने तक, आरोपी गांव में मौजूद थे, उनसे पूछताछ की गई थी। पुलिस और उसके बाद, पुलिस उन्हें थाना ले गई। उसने अपने साक्ष्य के कंडिका 14 में यह भी माना है कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया है कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी -7 और मर्ग प्रदर्श पी -8 से पता चलता है कि अपीलार्थी ने लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के सामने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया है कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है और फिर यह गवाह अपीलार्थी के साथ उस जगह गया जहाँ मृतक धर्मदास की लाश पड़ी थी। अपीलार्थी के शरीर पर चोटें भी देखी गई हैं, लेकिन जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने जगता (पूर्वीक) के मामले में कहा है, चोटों का कारण न बताना अपीलार्थी करने वाले के खिलाफ शायद ही कोई वजह हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस मामले में, कुल्हाड़ी पुकराम (दोषमुक्त किया गया सह-आरोपी) से बरामद हुई है, अपीलार्थी से नहीं। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को लाठी या कुल्हाड़ी मिलने के आधार पर दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषी ठहराया है। मासू के मामले (पूर्वीक) में, अपीलार्थी कोटवार के साथ एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े तक गया था और लोगों के सामने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया था जो सच नहीं पाया गया और यह स्वाभाविक नहीं था। इस मामले में, अपीलार्थी ने खुद कोटवार का दरवाज़ा खटखटाया और धनसाय (अभियोजन साक्षी- 4) को भी बताया, जिसका घर घटनास्थल के पास था। धनसाय (अभियोजन साक्षी -4) के साक्ष्य के अनुसार, वह कोटवार के घर भी गया था। कोटवार गाँव का ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है और आम तौर पर लोग कोटवार को सभी घटनाओं, खासकर आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते थे और कोटवार गाँव वालों की मदद करता था। इन हालात में, कोटवार के सामने अपीलार्थी का अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति अस्वाभाविक नहीं था और यह दिखाता है कि अपीलार्थी समेत गांव वालों को कोटवार पर भरोसा था। मासू (पूर्वीक) का प्रकरण के तथ्य में मौजूदा प्रकरण से अलग है।

17. जैसा कि अर्जुन लाल मिश्रा (पूर्वीक), सखाराम शंकर बनसोडे (पूर्वीक), बलदेव सिंह (पूर्वीक), शिवचरण (पूर्वीक), कुहरामी मुक्कई (पूर्वीक), अकनमन बोरा (पूर्वीक), जगता (पूर्वीक) और केशव (पूर्वीक) के मामलों में माना गया है, अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति या वापस लिए गए अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति में किसी भी विसंगति और दुर्बलता के मामले में, अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के तथ्य की पुष्टि के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है और कमजोर अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति/वापस लिए गए अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर स्वतंत्र स्रोत से आगे और पुष्टि के बिना भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।

18. इस मामले में, लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने प्रथम सूचना पत्र का कुछ हिस्सा यह सोचकर दर्ज कराया है कि घटना से कुछ घंटे पहले ही अपीलार्थी की बेटी, जिसकी शादी मृतक से हुई थी, के गर्भपात को लेकर झगड़ा हुआ था और एक पंचायत बैठक बुलाई गई थी जिसमें मृतक नहीं आया था और इसलिए, उन्होंने प्रदर्श पी -7 ('बी' से 'बी' तक) में पुलिस को बताया है कि इसी दुश्मनी के आधार पर अपीलार्थी और उसके भाई ने धर्मदास की हत्या की है। साक्ष्य का यह हिस्सा पुष्टि रूप से गवाह की कल्पना है, लेकिन यह बेबुनियाद नहीं था, यह पिछली बैठक की घटना और सही तथ्यों पर आधारित था। इसलिए, प्रथम सूचना पत्र के इस काल्पनिक हिस्से के आधार पर, लक्ष्मणदास महंत (अभियोजन साक्षी -5) के पूरे साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। उनके साक्ष्य धनसाई (अभियोजन साक्षी -4) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) के साक्ष्यों से अच्छी तरह से पुष्ट होते हैं, जिन्होंने तुरंत प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 और मर्ग प्रदर्श पी -8 दर्ज कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जैसा कि पहले बताए गए मामलों में कहा गया है, अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अपीलार्थी ने गवाहों के सामने सच्चा अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया है और जिन गवाहों के सामने अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया है, उनके साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करने वाले और भरोसेमंद होना चाहिए हैं।

20. बिना पुष्टि के वापस लिए गए अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्यों की मूल्य पर विचार करते हुए, प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य[11] के मामले में उच्चतम न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि वापस लिया गया स्वीकारोक्ति, सज़ा का कानूनी आधार

बन सकता है, अगर न्यायालय को यकीन हो कि यह सच था और अपनी मर्ज़ी से दिया गया था। लेकिन यह भी माना गया है कि कोई न्यायालय बिना पुष्टि के ऐसे स्वीकारोक्ति के आधार पर सज़ा नहीं देगा। यह कानून का नियम नहीं है, बल्कि सिर्फ़ विवेक का नियम है। बिना पुष्टि के मुकरी हुई संस्वीकृति अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति भी सज़ा के वारंट के लिए काफ़ी हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने फैसले के कंडिका 7 में यह कहा है: -

> "(7) दूसरी दलील में भी कोई दम नहीं है। अगर न्यायालय को लगता है कि मुकरी हुई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति सच था और अपनी मर्ज़ी से किया गया था, तो यह सज़ा का कानूनी आधार बन सकता है। लेकिन यह माना गया है कि कोई न्यायालय बिना पुष्टि के ऐसे संस्वीकृति के आधार पर सज़ा नहीं देगा। यह कानून का नियम नहीं है, बल्कि सिर्फ़ विवेक का नियम है। इसे व्यवहार या विवेक का कोई ऐसा नियम भी नहीं बनाया जा सकता जो पक्का न हो कि किसी भी हालत में बिना पुष्टि के ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई न्यायालय, किसी खास मामले में, स्वीकारोक्ति की पूरी सच्चाई पर यकीन है और बिना पुष्टि के उस पर काम करने के लिए तैयार हैं; लेकिन यह एक आम नियम के तौर पर तय किया जा सकता है कि किसी स्वीकारोक्ति पर भरोसा करना, और उससे भी ज़्यादा, तब तक असुरक्षित है जब तक न्यायालय को यह यकीन न हो कि वापस लिया गया स्वीकारोक्ति सच है और अपनी मर्ज़ी से दिया गया है और ज़रूरी बातों से उसकी पुष्टि हो गई है। उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पुष्टि की तलाश की और बिशन स्वरूप, अभियोजन साक्षी 7, के साक्ष्य और डाक बुक,प्रदर्श पी ए- 4 में प्रविष्टि में इसे पाया, और पुष्टि के इन हिस्सों को देखते हुए स्वीकारोक्ति को स्वीकार कर लिया। यह नतीजा सच है और इस अपीलार्थी में इसे बदलने का कोई सही आधार नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसी सवाल पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने के.आई. पावनी बनाम असिस्टेंट कलेक्टर (एच क्यू), सेंट्रल एक्साइज कलेक्ट्रेट, कोचीन के मामले में माना है कि वापस लिया गया अतिरिक्त न्यायिकस्वीकारोक्ति, अगर तथ्यों के आधार पर अपनी मर्ज़ी से और सच्चा पाया जाता है, तो वह सज़ा का खास आधार बन सकता है। हालांकि, यह विवेक और व्यवहार का नियम है कि

न्यायालय वापस लिए गए स्वीकारोक्ति को साबित करने के लिए दूसरे तथ्यों और हालात से भरोसा चाहता है।

22. इसी सवाल पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आलोक नाथ दत्ता और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[13] के मामले में माना है कि अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति में हूबहू शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, न्यायालय को इस नतीजे पर पहुंचना है कि संस्वीकृति मुकरी हुई संस्वकृति थी या नहीं।

23. इस मामले में, धनसाय (अभियोजन साक्षी-4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी-5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) के साक्ष्य यह साबित करने के लिए काफी हैं कि अपीलार्थी ने उनके सामने अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया है कि उसने अपने दुश्मन को मार डाला है और दुश्मन सिर्फ धर्मदास (अब मर चुका है) था, कोई और नहीं, जब उसने धर्मदास की शव दिखाई थी। यह साक्ष्य तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग से पूर्ण रूप से संपुष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. जहां तक हेतुक का सवाल है, अभियोजन के केस के अनुसार, अपीलार्थी का हेतुक था कि सीमा @ सोनकुंवर का पति यानी मृतक धर्मदास अपनी पत्नी सीमा, जो यहां अपीलार्थी करने वाले की बेटी है, का गर्भपात करवाना चाहता था और इसी झगड़े की वजह से पिछली रात एक पंचायत बुलाई गई थी। श्रीमती सीमा @ सोनकुंवर (अभियोजन साक्षी -15) अपीलार्थी की बेटी है, जिसे अभियोजन ने पक्षद्रोह घोषित किया है, अपने साक्ष्य के कंडिका 4 और 6 में ऊपर बताई गई बातें बताई हैं। बिना किसी वजह या झगड़े के पंचायत नहीं बुलाई गई, जो अपने आप में यह साबित करने के लिए काफी है कि उसकी गर्भावस्था खत्म करने से जुड़ा कोई झगड़ा था। श्रीमती सीमा उर्फ सोनकुंवर (अभियोजन साक्षी -15) ने अभियोजन के प्रकरण का सहायता नहीं किया है। निश्चित रूप से, उसके पति की हत्या हुई है और अपीलार्थी उसका पिता है। इन हालात में, उसके पति की मौत के बाद उससे अपने पिता के खिलाफ गवाही देने की उम्मीद नहीं थी। ऊपर बताई गई बातें अपराध करने का हेतुक हो सकती हैं जो अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की बात को भी संपुष्ट करती हैं।

25. इस मामले में, अपीलार्थी ने धनसाय (अभियोजन साक्षी-4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी-5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी-7) के सामने जो अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया था, वह तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग से अच्छी तरह से संपुष्ट होता है, और पंचायत बुलाने की ज़रूरत के तथ्य और इस बात से भी साबित होता है कि समस्या मृतक की तरफ से थी और अपीलार्थी की बेटी से जुड़ी थी, जो अपराध करने का हेतुक था। धनसाय (अभियोजन साक्षी-4), लक्ष्मणदास कोटवार (अभियोजन साक्षी-5) और राम प्रसाद पनिका (अभियोजन साक्षी -7) के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करते हैं, वे भरोसेमंद हैं और उन पर भरोसा करना सुरक्षित है। सह-आरोपी पुकराम ने कोई अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति नहीं दिया है और अभियोजन ने उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने पुकराम को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से संबंधित प्रस्तुत साक्षी यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने मृतक धर्मदास की मानव वध उसकी मृत्यु के आशय से की है।

27. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और जैसा कि ऊपर बताया गया है, सज़ा सुनाई। अपीलार्थी को दोषी ठहराना भरोसेमंद और कानून के तहत स्थिर रखे जाने वाले ठोस सबूतों पर आधारित है। साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर, हमें इस फैसले में कोई अवैधता या दोष नहीं मिलता है।

28. अतः अपीलार्थी में कोई सार नहीं है, इसलिए यह खारिज किये जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही /-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

सही /-
आर० एन० चंद्राकर
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Kusumlata

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur